



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44015-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3853 वर्ष 2026

कमला प्रसाद तथा अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: सैयद अशरफ अली

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 07.12.2025 को आरोप-पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आरोप-पत्र पर अभी तक संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान ग्रहण नहीं किया गया है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के उपरांत, न्यायालय की अनुमति के बिना याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।
5. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक : 26 फरवरी 2026

वी.के.जी.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।